भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 31**

उत्तर देने की तारीख 20 जुलाई, 2026

सोमवार, 29 आषाढ़, 1948 (शक)

**ओडिशा में कार्यशील प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों की संख्या**

**†31. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही:**

**क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) वर्तमान में ओडिशा के गंजम और गजपति जिलों में कार्यशील 'प्रधानमंत्री कौशल विकास' (पीएमकेके) और चल रही कौशल विकास पहलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल पाठ्यचर्या में ब्रह्मपुरी पट्टा रेशम बुनाई और स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित पारंपरिक शिल्पों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल को एकजुट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएम-विकास योजना के अंतर्गत दक्षिणी ओडिशा में उन लाभार्थियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने सफलतापूर्वक स्व-रोजगार प्राप्त कर लिया है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (सिम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (नैप्स) के तहत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत ओडिशा के गंजम और गजपति जिलों सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

ओडिशा के गंजम और गजपति जिलों में एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

| जिले | पीएमकेवाई (स्थापना से लेकर 30.06.2026 तक) | जेएसएस (2018-19 से 30.06.2026 तक) | नैप्स (2018-19 से 30.06.2026 तक) | सीटीएस/आईटीआई (सत्र 2018 से 2025 तक) |
|---|---|---|---|---|
| गंजम | 5688 | 9,000 | 1,511 | 46,796 |
| गजपति | 2180 | 7,873 | 219 | 4,225 |

एमएसडीई की योजनाएं मांग आधारित हैं और इन योजनाओं के तहत प्रशिक्षण केंद्र आवश्यकता के आधार पर स्थापित या संचालित किए जाते हैं। ओडिशा के गंजम और गजपति जिलों में एमएसडीई द्वारा स्थापित या संचालित प्रशिक्षण केंद्रों, जिनमें प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) भी शामिल हैं, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

| जिला | पीएमकेके | पीएमकेवीवाई 4.0 केंद्र (एसटीटी+एसपी)* | जेएसएस केंन्द्र- | नैप्स प्रतिष्ठान | आईटीआई (सरकारी और निजी) |
|---|---|---|---|---|---|
| गंजम | 02 | 11 | 01 | 38 | 38 |
| गजपति | 01 | 03 | 01 | 07 | 06 |

*अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और विशेष परियोजनाएं (एसपी)

(ख): टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल (टीएससी), जो एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एक अवार्डिंग बॉडी है, ने हथकरघा सेक्टर के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप योग्यताएं विकसित की हैं। इनमें कलमकारी कारीगर, इक्कत कारीगर, हैंक डाइर, कोन वाइंडर-एवं-पिर्न वाइंडर, वार्पर-हैंडलूम, टू शाफ्ट हैंडलूम वीवर, जैक्वार्ड वीवर-हैंडलूम, असिस्टेंट डिज़ाइन मेकर-वस्त्र, हैंड स्पिनिंग ऑपरेटर और हथकरघा उद्यमी जैसी योग्यताएं शामिल हैं। ये योग्यताएं हथकरघा बुनाई में संरचित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती हैं और बरहमपुरी पट्टा सिल्क बुनकरों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए भी उपयुक्त हैं।

वस्त्र मंत्रालय 'समर्थ' (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना) को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य संगठित वस्त्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में नौकरी पैदा करने की इंडस्ट्री की कोशिशों को बढ़ावा देने के लिए मांग-आधारित और नियोजन-अभिविन्यस्त कौशलीकरण कार्यक्रम उपलब्ध कराना है। इसमें वस्त्र क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला शामिल है, लेकिन संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई शामिल नहीं हैं। 'समर्थ' को पूरे भारत में लागू किया जा रहा है।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज ने विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण ट्रेड़ों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 38 एनएसक्यूएफ़-अनुरूप योग्यताएं, 12 राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) और 15 सूक्ष्म प्रमाण पत्र विकसित किए हैं। ये योग्यताएं राष्ट्रीय कौशल ईकोसिस्टम के भीतर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संरचित, उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण के एकीकरण को सुगम बनाती हैं।

(ग): प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम-विकास) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, कौशलीकरण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है ताकि राष्ट्रीय परिदृश्य में उनका समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पीएम विकास योजना का कार्यान्वयन जनवरी 2025 में शुरू हो चुका है। यह योजना जनवरी 2025 में शुरू की गई थी और प्रशिक्षण 2025-26 के दौरान शुरू हुआ।

*****